भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान

शीघ्र और वहनीय न्याय व्यवस्था की इच्छा सार्वभौमिक है। वर्तमान समय में, किसी विवाद का शीघ्र समाधान न केवल विवाद के पक्षकारों के मूल्यवान समय और धन की बचत करता है बल्कि अनुबंध के प्रवर्तन और ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस के लिए वातावरण को भी सुगम बनाता है।

विवाद समाधान का पारंपरिक तरीका यानी मुकदमेबाजी एक लंबी प्रक्रिया है जो न्याय के वितरण में अनावश्यक देरी के साथ-साथ न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ डालती है। ऐसे परिदृश्य में , वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र जैसे माध्यस्थम, सुलह और मध्यस्थता आदि किसी विवाद के समाधान के लिए बेहतर और समय पर समाधान प्रदान करते हैं। ये एडीआर तंत्र कम प्रतिकूल हैं और विवादों का समाधान करने के पारंपरिक तरीकों की तुलना में एक सौहार्दपूर्ण परिणाम प्रदान करने में सक्षम हैं।

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996

भारत में, माध्यस्थम एडीआर के सबसे बेहतर तरीकों में से एक है जिसका संचालन माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

भारत में माध्यस्थम का इतिहास

भारत में माध्यस्थम के विषय से संबंधित पहला औपचारिक संविधि भारतीय माध्यस्थम अधिनियम, 1899 था, जो केवल मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता प्रेसीडेंसी शहरों पर लागू होता था।

इसके बाद, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 लागू होने के बाद, उक्त संहिता की दूसरी अनुसूची माध्यस्थम के लिए स्रोत प्रदान करती है। तत्पश्चात, उपरोक्त कानूनों को माध्यस्थम अर्थात माध्यस्थम अधिनियम, 1940 से संबंधित विस्तृत विधि निर्माण हेतु निर्धारित किया गया।

1940 का उक्त अधिनियम मुख्य रूप से 1934 के इंग्लिश माध्यस्थम अधिनियम पर आधारित था और अगली आधी सदी से अधिक समय तक लागू रहा।

1940 का अधिनियम, केवल घरेलू माध्यस्थम से संबंधित था, जबकि विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन को जेनेवा कन्वेंशन पंचाटों के लिए माध्यस्थम (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम, 1937 और न्यूयॉर्क सम्मेलन पुरस्कार के लिए विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 द्वारा निपटाया जाता था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, 1985 को 21 जून, 1985 को अपनाया गया था, जिसमें 36 अनुच्छेद थे। मॉडल लॉ का उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा अधिनियमित माध्यस्थम से संबंधित संविधि के लिए एकरूपता बनाना था।

यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल लॉ ने भाग लेने वाले देशों को घरेलू माध्यस्थम से संबंधित कानूनों को लागू करते समय उक्त कानून पर विचार करने में सक्षम बनाया, ताकि माध्यस्थम के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में एकरूपता हो।

<u>माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 का अधिनियमन</u>

1991 के बाद शुरू हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और उदारीकरण ने भारत में विदेशी निवेश के प्रवेश की सुविधा के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया था और उन्हें अन्य देशों के समकक्ष बनाने के लिए घरेलू कानूनों में व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता थी।

विदेशी निवेशक भी लागत प्रभावी तरीके से संविदात्मक विवादों को हल करने के लिए एक जीवंत और स्थिर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की उपलब्धता की तलाश कर रहे थे।

हालाँकि, तब माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के तत्कालीन प्रचलित प्रावधान निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे, जो एक अधिक व्यवस्थित और जीवंत वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र चाहते थे।

अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम 1985 पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून के आधार पर भारतीय संसद ने माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 को अपने कानून को सुसंगत बनाने के लिए और जहां तक माध्यस्थम का संबंध है, अन्य न्यायालयों में मौजूद स्थिति के अनुरूप बनाने के लिए अधिनियमित किया।

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 दिनांक 22.08.1996 को लागू हुआ।

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रमुख उद्देश्य थे:

क. न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करना
ख. विवादों के शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था करना।
ग. विवादों का सौहार्दपूर्ण, तीव्र और किफायती समाधान।
घ. यह सुनिश्चित करना कि माध्यस्थम की कार्यवाही न्यायोचित, निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से संचालित की गई है।
ङ. अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम और सुलह के साथ-साथ घरेलू माध्यस्थम और सुलह से भी व्यापक रूप से निपटना।
च. विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए माध्यस्थम की कार्यवाही के दौरान मध्यस्थता, सुलह या अन्य प्रक्रिया की सहायता लेने के लिए मध्यस्थ को सुविधा प्रदान करना ।
छ. यह प्रावधान करना कि प्रत्येक माध्यस्थम निर्णय को उसी तरह लागू किया जाए जैसे कि वह न्यायालय का आदेश हो।

माध्यस्थम एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है, जिसमें विवादित पक्षकार उक्त विवाद के न्यायनिर्णय के लिए समझौते द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त करते हैं और उस हद तक यह न्यायालय की कार्यवाही से भिन्न होता है। मध्यस्थ अधिकरण की शक्ति और कार्यों को वैधानिक रूप से विनियमित किया जाता है।

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 को चार भागों में विभाजित किया गया है। भाग I जिसका शीर्षक "माध्यस्थम" है; भाग II जिसका शीर्षक "कुछ विदेशी पंचाटों का प्रवर्तन" है; भाग III जिसका शीर्षक "सुलह" है और भाग IV "अनुपूरक प्रावधान" है। इन भागों के अलावा अधिनियम की सात अनुसूचियां हैं।

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 को वर्ष 2015 और वर्ष 2019 में संशोधित किया गया है, ताकि भारत में माध्यस्थम की कार्यवाही के संचालन को

समयबद्ध, प्रभावी और केवल सीमित आधार पर आगे मुकदमेबाजी के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके।

महत्वपूर्ण संशोधनों में शामिल हैं:

मध्यस्थों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए मध्यस्थों को चुनौती देने के लिए आधारों का ब्यौरा प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है।

माध्यस्थम की कार्यवाही को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए प्रदान किया गया सांविधिक ढांचा।

मध्यस्थता कार्यवाहियों से संबंधित अंतरिम आदेश जो न्यायालयों या मध्यस्थ अधिकरणों द्वारा पारित किए जा सकते हैं, जैसा भी मामला हो, का विवरण दिया गया है ताकि माध्यस्थम कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान विवाद की विषय वस्तु के मूल्य की सुरक्षा को सक्षम किया जा सके।

मध्यस्थ निर्णयों को चुनौती देने के आधार यह बताने के लिए स्पष्ट किए गए हैं कि चुनौती का दायरा सीमित करने का उद्देश्य है। यह मध्यस्थ पंचाटों को अंतिम रूप देने में समर्थकारी होगा।

मध्यस्थ निर्णय के प्रवर्तन पर स्वत: स्थगन का प्रावधान, जैसे ही एक मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया जाता है, को समाप्त कर दिया गया है और एक प्रावधान शामिल किया गया है कि एक मध्यस्थ निर्णय के प्रवर्तन पर स्थगन, मौद्रिक पुरस्कार के मामले में जमा सहित, कुछ शर्तों को लागू करने पर दिया जा सकता है।

देश में मध्यस्थ संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए भारतीय माध्यस्थम परिषद (एसीआई) की स्थापना के लिए प्रस्तावित।

<u>भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 का अधिनियमन</u>

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 संस्थागत माध्यस्थम के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था बनाने के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था, भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र की स्थापना का प्रावधान करता है। केंद्र को

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के लिए पसंदीदा सीट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र, अन्य बातों के साथ-साथ, सुलह, मध्यस्थता और माध्यस्थम की कार्यवाही के लिए सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्यता प्राप्त माध्यस्थमों, सुलहकर्ताओं और मध्यस्थों या विशेषज्ञों जैसे सर्वेक्षकों और जांचकर्ताओं के पैनल बनाए रखेगा; सुलह, मध्यस्थता और माध्यस्थम की कार्यवाही के लिए सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना; माध्यस्थम, सुलह, मध्यस्थता और अन्य वैकल्पिक विवाद समझान संबंधी मामलों में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना और सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन करना। केंद्र के अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों को नियुक्त जा चुका है।

<u>मध्यस्थता विधेयक, 2021</u>

मध्यस्थता एडीआर का एक और तरीका है जो अधिक अनौपचारिक है और विवादित पक्षकारों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है, जो एक समझौते में परिणत होता है। इस प्रकार, मध्यस्थता, माध्यस्थम के विपरीत, लोगों और व्यवसायों को अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयास में सहायता करता है, क्योंकि प्रक्रिया में समझौता स्वैच्छिक और सहमति के आधार पर होता है।

वर्तमान में, मध्यस्थता का प्रयोग काफी हद तक पारिवारिक मामलों आदि तक ही सीमित है और न्यायालयों द्वारा संदर्भित विवादों में, न्यायालय में संलग्न मध्यस्थता केंद्रों तक सीमित है। पक्षकारों के बीच स्वैच्छिक आधार पर या निजी आधार पर मध्यस्थता भी की जाती है, लेकिन यह औपचारिक और संरचित नहीं है और कानून के तहत पक्षकारों के बीच हुए समझौते को कोई स्पष्ट मान्यता नहीं है। इस प्रकार, पक्षकार मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निरुत्साहित महसूस करते हैं। उपरोक्त कारकों ने विवाद समाधान के प्रभावी तंत्र के रूप में मध्यस्थता के विकास को बाधित किया है और मध्यस्थता विधेयक, 2021 इस संबंध में विधिक और प्रक्रियागत कमियों को दूर करने का प्रयास करता है।

मध्यस्थता विधेयक, 2021, जो भारत में मध्यस्थता के उद्देश्य के लिए एक समेकित अधिनियम होगा, को राज्यसभा में पेश किया गया और आगे के विचार

के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। संयुक्त संसदीय समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।